राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 6251 दिनांक : 26/12/19

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 में वार्ड पंच के निर्वाचन, नियम 56 सपठित नियम 23 के अन्तर्गत सरपंच पद के निर्वाचन के लिए एवं नियम 58(1) के अंतर्गत पंचायत समिति / जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक सूचना जारी किये जाने का प्रावधान है। इन नियमों में उक्त लोक सूचना का कोई प्ररूप विहित नहीं किया जाने से अतः आयोग के पत्रांक प. 6(1)(5)पंचायत / रानिआ / 94 / 1144 दिनांक 20.12.94 एवं प. 7(1)(1)पंचा / रानिआ / 94 / 6069 दिनांक 8.12.2009 द्वारा लोक सूचना का प्ररूप विहित कर समुचित निर्देश प्रदान किए गए थे।

उक्त निर्देशों में समय के अनुकूल परिवर्तन अपेक्षित है। अतः आदेश क्रमांक 1144 दिनांक 20.12.94 एवं 6069 दिनांक 8.12.2009 को अधिक्रमित किया जाकर नियम 91क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं–

1. पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23, नियम 56 एवं नियम 58 में लोक सूचना के लिए प्ररूप विहित नहीं किये गये हैं। इस व्यहारिक कठिनाई के निराकरण एवं प्ररूप की एकरूपता रखने के लिए आयोग द्वारा मॉडल प्ररूप निर्धारित कर आदेश के साथ प्रेषित किए जा रहे हैं।

2. आयोग के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मॉडल प्ररूप के अनुरूप नियम 23, 56 एवं 58 के अन्तर्गत अपेक्षित लोक सूचना प्रत्येक पंचायत सर्कल, पंचायत समिति एवं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जारी की जाए। जारी की गई लोक सूचना की एक–एक प्रति कार्यालय अभिलेख में आवश्यक रूप से रखी जाए।

3. यह उल्लेखनीय है कि नियम 2 के अन्तर्गत दी गई रिटर्निंग अधिकारी की परिभाषा में सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी शामिल है। अतः जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्यों के मामलों में नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य रिटर्निंग अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के साथ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा भी संपादित किया जा सकेगा किन्तु संवीक्षा में अंतिम निर्णय रिटर्निंग अधिकारी का होगा।

4. पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का स्थान यथा–संभव पंचायत समिति मुख्यालय पर ही रखा जावे।

5. लोक सूचना में नियम 23 द्वारा द्वारा अपेक्षित सूचना यथा वह स्थान जहाँ नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, संवीक्षा के लिए नियत तारीख एवं स्थान नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की तारीख / समय एवं मतदान की तिथि एवं समय की सूचना अंकित की जाये।

26/12